राजस्थान–सरकार

# न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री आलोक रंजन, आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 02/2019

दायर दिनांकः–09.01.2019
फैसल दिनांकः–29.11.2019

श्री जगदीश चारण उचित मूल्य दुकानदार, सेन्टर वार्ड नंबर 20 सागवाडा, तहसील सागवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

अपीलार्थी.....

**बनाम**

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट....

उपस्थितिः– 1. वकील अपीलार्थी – श्री लक्ष्मीलाल जैन
2. वकील रेस्पोडेन्ट – विभागीय पेरोकार–प्रर्वतन निरीक्षक

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

## – : निर्णय : –

यह प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की ओर से विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दूकान वार्ड नं. 20 नगर पालिका सागवाडा में संचालित होकर बिना सुनवाई एवं सूचित किया अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जप्त सरकार के आदेश दिनांक 26.10.2018 से बनाराजगी निर्णय से असंतुष्ट होकर की गई कार्यवाही को निरस्त कर प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी की मॉ 92 वर्ष की वृद्धा हैं तथा वृद्धावस्था के कारण आये दिन बीमार रहती हैं दिनांक 20.02.2018 को वृद्ध मॉ की तबीयत खराब होने से घर गया था। राशन की दुकान के निरीक्षण हेतु प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर के आने की फोन द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त राशन दूकान पर उपस्थित हुआ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में बताया कि पोश मशीन इन्टरनेट द्वारा संचालित होती है किन्तु इन्टरनेट हर वक्त सही प्राप्त नहीं होता हैं। निरीक्षण की दिनांक को जो जो राशनधारी राशन लेने आये थे, उनको पोश मशीन पर राशन वितरण की कार्यवाही का इन्द्राज कर दिया था। पोश मशीन पर राशनधारियों के राशन वितरण का इन्द्राज की कार्यवाही करने के दौरान घर से वृद्ध मॉ की अचानक तबीयत खराब होने का फोन आया जिससे राशनधारियों को राशन वितरण का पोश मशीन में इन्द्राज कर दिया गया था तथा उन्हें राशन वितरण नहीं किया गया, उन्हें एक घंटे बाद आकर अपना राशन

Scanned by CamScanner

ले जाने को कहकर राशन दूकान बंद करके अपीलार्थी घर चला गया। पोश मशीन में राशन वितरण का इन्द्राज हो जाने के कारण स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसनी अधिक पाया गया। अपीलार्थी की बदनियती होती तो 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन मौके से हटा लेता, किन्तु स्टॉक से अधिक पाया गया राशन दूकान में ही रखा हुआ पाया। रेस्पोडेन्ट निरीक्षणकर्ता द्वारा वार्ड के राशनधारियों से उक्त संबंध में जांच की गई होती तो अधिक पाये गये गेहूँ एवं केरोसीन की स्थिति स्पष्ट हो जाती। अपीलार्थी द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार का संचालन से निवृत्त करने की रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को प्रषित किया है, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। राशन दूकान के गोदाम का ब्ल्यू प्रिन्ट जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में उनके हस्ताक्षर हेतु पेश किये गये है। ब्ल्यू प्रिन्ट बाद हस्ताक्षर वापस नहीं मिलने के तथ्य अंकित किये हैं। राशन की दूकान की मरम्मत हेतु सीमेन्ट रखा गया था तथा घर के उपयोग हेतु बाजार से चावल खरीद कर राशन दूकान पर रखकर दूकान बन्द कर घर जाते समय ले जाने हेतु वहां रखे गये थे। अपीलार्थी ने उक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उचित मूल्य की दूकान को प्राधिकार पत्र के निरस्त आदेश दिनांक 26.10.2018 को अपास्त करने की प्रार्थना–पत्र की हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट (विभागीय पेरोकार) ने उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस समायत करने अनुरोध किया।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस समायत की गई। वकील अपीलार्थी ने अपने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि जप्त किये गये 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा बाजार से क्रय कर राशन की दूकान पर रखा गया था, जो घरेलू उपयोग का था। अन्नपूर्णा भण्डार के संचालन से निवृत्त होने जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को दिनांक 13.11.2017 को प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया हैं किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। राशन दूकान के गोदाम में ब्ल्यू प्रिन्ट जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में उनके हस्ताक्षर हेतु पेश किये गये है वह अपीलार्थी को बाद हस्ताक्षर वापस नहीं मिलना बहस में बताया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया राशन की दूकान की मरम्मत हेतु सीमेन्ट के कट्टे रखे गये थे। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि पोश मशीन में राशनधारियों के इन्द्राज की कार्यवाही हो जाने एवं उसी दौरान अपीलार्थी की मॉ की अचानक तबीयत बिगड जाने से घर चला गया था, जिससे पोश मशीन में इन्द्राजशुदा राशन दिया जाना शेष था, जिससे स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. गेहूँ व 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। इसमें अपीलार्थी की राशन वितरण में किसी प्रकार की बदनियती नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर स्टॉक से अधिक पाये गये गेहूँ एवं

Scanned by CamScanner

केरोसीन पाये जाने की राशनधारियों से किसी प्रकार की जांच नहीं करने से प्रकरण में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाना अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने सी.आर.एल.आर.(राज0) के पृष्ठ संख्या 288 मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच के प्रकरण धेधिया ट्रेडर्स बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.1995 की नजीर पेश की हैं तद्नुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपराध के साथ तेल की जप्ती कलक्टर प्रवर्तन इस्पेक्टर द्वारा के समक्ष किये आवेदन का निर्णय नहीं–अपील प्राधिकरण ने भी अभिवाक् को नहीं माना और केवल जप्ती माल की सूची एवं मिमों पर विश्वास किया–अभियोग जप्ती का आदेश विधि अनुसार स्थिर नहीं रखा जा सकेगा और उसे खारिज किया जाता हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी डूंगरपर के आदेश दिनांक 26.10.2018 को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

विभागीय पेरोकार (प्रवर्तन निरीक्षक) ने बहस में कथन प्रकट किये कि दिनांक 20.02.2018 को उचित मूल्य दूकान वार्ड नंबर 20 सागवाडा के वक्त निरीक्षण पोश मशीन में स्टॉक 1800 कि.ग्रा. के मुकाबले मौके पर 3200 कि.ग्रा. गेहूँ पाये जो स्टॉक के मुकाबले 1400 कि.ग्रा. अधिक पाये गये। इसी प्रकार स्टॉक के मुकाबले 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। राशन की दूकान पर बिना अनुमति 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार का संचालन व्यवस्थित नहीं किया जाना बताया तथा स्टॉक विवरण अपडेट नहीं मिलने का विभागीय पेरोकार ने कथन प्रकट किया। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि दोनों दूकानों पर मौके पर ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शे नहीं पाये गये तथा रेट लिस्ट भी अपडेट नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक से अधिक 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना विपक्षी की बदनियती को दर्शाता हैं। अपीलार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन की श्रेणी में आता हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाकर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के आदेश दिनांक 26.10.2018 को यथावत रखने का अनुरोध किया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का ससम्मान पठन किया गया। उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य की दूकान वार्ड नंबर 20 सागवाडा का दिनांक 20.02.2018 को निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दोनों दूकानों के पोश मशीन (17937 व 17939) में दर्ज स्टॉक के मूकाबले मौके पर 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। उचित मूल्य की दूकान पर 29 कि.ग्रा. चावल का कट्टा मौके पर किया गया। स्टॉक से अधिक पाये गये 1400 कि.ग्रा. गेहूँ व 544 लीटर

Scanned by CamScanner

केरोसीन तथा राशन दूकान पर रखे गये 29 कि.ग्रा. चावल के कट्टे को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जप्त सरकार किया गया। उक्त खाद्यान्न की जप्ती के उपरान्त जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर ने उचित मूल्य की दूकान वार्ड नं. 20 के डीलर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.04.2019 द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी को विपक्षी डीलर ने दिनांक 24.05.2019 को जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तथ्य प्रकट किये कि पोश मशीन में इन्टरनेट की समस्या के कारण राशनधारियों का एक साथ पोश मशीन में राशन वितरण दर्ज करने की कार्यवाही की गई तथा राशनधारियों को सिर्फ गेहूँ एवं केरोसीन वितरण किया जाना था। अपीलार्थी के अपील मीमों के तथ्य एवं उनके विद्वान अभिभाषक के उक्त कथन (After Tought) खाद्यान्न की जप्ती के बाद उत्पन्न किये गये विचार हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर में उनको पर्याप्त अवसर एवं बिना सुने कार्यवाही किये जाने बाबत है वह इस प्रकरण में उनकी सहायता नहीं करती हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर की इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से पर्याप्त अवसर दिये जाना पाया गया। विपक्षी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा दूकान का संचालन में अनियमितता बाबत पेरोकार सरकार द्वारा कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अपीलार्थी की राशन की दूकान पर वक्त निरीक्षण स्टॉक से अधिक 1400 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 544 लीटर केरोसीन पाया जाना उनकी बदनियति को दर्शाता हैं। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.10.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट तथ्यहीन व सारहीन होने से निरस्त की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के आदेश दिनांक 26.10.2018 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी को निणर्य की प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद नंबर से कम होकर फैसल में शुमार हो।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Ranjan
Date: 2019.12.10 10:51:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: